सत्यमेव जयते
भारत सरकार

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011.शहरी

पर्यवेक्षक के लिए अनुदेश पुस्तिका

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावना

भारत सरकार ने वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) कराने का निर्णय लिया है । सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारो द्वारा कराई जाएगी जिसमें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य 30 जून, 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। देश में पहली बार ऐसा कार्य कराया जा रहा है ।

यह आपका सौभाग्य है कि आपको एसईसीसी, 2011 के लिए पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है । पर्यवेक्षक के रूप में, आप अत्यंत राषट्रीय महत्व का कार्य कर रहे हैं । आपके लिए गर्व की बात होने के साथ-साथ ही यह भारी जिम्मेदारीपूर्ण कार्य भी है । आपको यह कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से करना है।

पर्यवेक्षक की अनुदेश पुस्तिका के बारे में

अनुदेश संबंधी यह नियम पुस्तिका सर्वेक्षण प्रश्नावलियों/अनुसूचियों को भरने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश है। हालांकि सर्वेक्षण के दौरान सामान्यतया सामने आने वाले सभी मुद्दों को इसमें शामिल करने का हर-सम्भव प्रयास किया गया है, फिर भी संभवतः ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब इसमें कुछ अस्प‘टता मिले। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि स्पष्टीकरण के लिए आप मास्टर प्रशिक्षकों या राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ इसकी जांच कर लें।

कृपया प्रगणन कार्य का पर्यवेक्षण शुरू करने के पहले इस पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बेहतर होगा कि सर्वेक्षण के दौरान आप इस अनुदेश पुस्तिका और प्रगणकों की अनुदेश पुस्तिका की एक प्रति अपने साथ रखें। इस अनुदेश पुस्तिका में सुविधा हेतु परिवार के लिए एच एच(House Hold)का प्रयोग किया गया है। कुछ भरी हुई अनुसूचियां भी हैं, जिनका उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सर्वेक्षण अवधारणाओं और परिभाषाओं को समझने के लिए ये उपयोगी हैं, फिर भी इन्हें केवल उदाहरण के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कराने से पूर्व, उसके दौरान और उसके बाद पर्यवेक्षक के मुख्य कार्यों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया हैः

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना से पहले :-

- एसईसीसी का कार्य शुरू करने से पहले, पर्यवेक्षण के लिए आप को सौंपे गए प्रगणकों और उनके साथ के डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों एवं आरक्षित आपरेटरों को भली-भांति पहचान लें।
- यह सुनिश्चित कर लें कि आपको निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है ।
- यह सुनिश्चित कर लें कि आपको निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र प्राप्त हो गया है ।
- जब कभी भी आप पर्यवेक्षण कार्य के लिए निकलते है तो अपने साथ हमेशा अपना नियुक्ति पत्र रखे और अपना पहचान पत्र दर्शाएं ।
- प्रगणक अनुदेश पुस्तिका को प्राप्त कर इसे सावधानीपूर्वक पढ़ें। इससे आपको अवधारणाओं, आयामों, पद्धतियों और डाटा कलेक्शन के लिए कोडों को समझ पाने में मदद मिलेगी।
- प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लें, प्रश्नावलियों और प्रगणकों की अनुदेश पुस्तिका और इस अनुदेश पुस्तिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा सभी निर्देशों को भली-भांति समझें । यदि निर्देश का कोई भाग स्पष्ट नहीं है तो अपने प्रशिक्षक से इसे समझें । पर्यवेक्षक और प्रगणक की अनुदेश पुस्तिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर ही आप प्रगणकों का मार्गदर्शन कर पाएंगे और उनके संदेहों को दूर कर पाएंगे।
- अंतिम प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर प्रशिक्षण केन्द्र छोड़ने से पूर्व सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के लिए आवश्यक सभी सामग्री, जिसमें आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनजाति समूहों की सूची भी शामिल है, प्राप्त कर लें ।
- चार्ज कार्यालय से ले आउट मैप, संक्षिप्त मकान सूची (एएचएल), हैण्ड हैल्ड डिवाइस, पावती स्लिप पुस्तिका, पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए अनुदेश पुस्तिका एकत्र करके अपने प्रगणकों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सौंप दें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके और आपके प्रगणक के पास जमीन के क्षेत्रफल के लिए इस्तेमाल की गई मापन इकाईयों के संबंध में अर्थात्, स्थानीय इकाइयों से एकड़ में बदलने सम्बन्धी परिवर्तन सारणी, की प्रति

उपलब्ध है। कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रगणकों ने सर्वे में इस्तेमाल की जाने वाली टूल किट सहित सभी आवश्यक सामग्रियां ले ली है। प्रगणकों की टूल किटों में दी गई सामग्रियों की सूची प्रगणकों की अनुदेश पुस्तिका में अनुलग्नक 1 में दी गई है।

- क्षेत्र कार्य शुरू करने से पूर्व प्रगणना ब्लॉक का दौरा करें ताकि उस क्षेत्र के निवासियों को जनगणना के प्रयोजन के बारे में समझाया जा सके और इससे जनगणना टीम के कार्य आधार तैयार किये जा सकें।
- अपने क्षेत्र के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलकर और उन्हें अपने दौरे का प्रयोजन बताकर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उचित संपर्क बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के दौरान

- आप 6 टीमों के फील्ड-कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे। प्रत्येक टीम में एक प्रगणक और एक डाटा एण्ट्री ऑपरेटर प्रदान किए है। चूंकि प्रत्येक टीम को 4 गणना ब्लॉक (ईबी) मिलेंगे, इसलिए आपको मोटे तौर पर 24 गणना ब्लॉकों के फील्ड-कार्यों का पर्यवेक्षण करना है।
- प्रत्येक गणना ब्लॉक में, प्रगणक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ गणना ब्लॉक में घूमें और अपने गणना ब्लॉक की संक्षिप्त मकान सूची (एएचएल) में दी गई सामग्रियों की मदद से उसकी सीमाओं और अन्य प्रमुख स्थलों की पहचान करें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (डीईओ) को दिए गए हैण्ड हैल्ड डिवाइस में एकत्र किए जा रहे आंकड़ों को दर्ज करने के लिए प्रत्येक डीईओ के पास एक अलग लॉगइन आई डी और पासवर्ड है।
- यदि प्रगणक के बार-बार जाने के बाद भी किसी विशेष परिवार का पता न लग सके, तो पर्यवेक्षक को उस परिवार के मुखिया का नाम और गणना ब्लॉक में पड़ोसी परिवारों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर निर्धारित फार्मेट में अनुपलब्धता का कारण अवश्य दर्ज करना चाहिए।
- प्रगणकों और डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों की निम्न कार्य में मदद करें -

1. उन्हें सौंपे गए गणना ब्लॉक का ले आउट मैप तैयार/अद्यतन करने में। प्रगणकों की अनुदेश पुस्तिका में इसकी प्रक्रिया विधि के बारे में बताया गया है।
2. एएचएल के खंड 2, 3 और 4 को अद्यतन करने में जैसा कि प्रगणक की अनुदेश पुस्तिका के अध्याय 2 में बताया गया है।
3. किसी भी कॉलम को खाली छोड़े बिना हैण्ड हैल्ड डिवाइस में डाटा एण्ट्री करने में।

- कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपको सौंपा गया संपूर्ण क्षेत्र बिना किसी दुराव अथवा पुनरावृत्ति के कवर कर लिया गया है। सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के दौरान सभी परिवारों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक होगा कि आप (ऑकड़े एकत्र करने) का कार्य पूरा होने के बाद भी एक बार फिर अपने प्रगणक और डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के साथ गणना ब्लॉकों या गांवों का दौरा करें।
- प्रगणक को यह निर्देश दें कि वह तुरंत ही प्रश्न पर प्रश्न न पूछने लगे और उत्तरदाता से हमेशा ही मुस्कराते हुए और उचित अभिवादन के साथ प्रश्न करें।
- प्रगणकों को यह कहें कि वे उत्तरदाता द्वारा स्वयं दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें और सत्यापन के लिए किसी दस्तावेज की मांग न करें।
- जब कभी भी कोई संदेह हो/स्पष्टीकरण की जरूरत पड़े तो प्रभारी अधिकारी या राज्य के नोडल अधिकारी के साथ इसकी जांच करें।
- प्रगणकों के कार्य का पर्यवेक्षण करें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी सहायता करें।
- चार्ज कार्यालय सर्वर में हैण्ड हैल्ड डिवाइस के आंकड़ों को अपलोड करने तथा हैण्ड हैल्ड डिवाइस को चार्ज करने की व्यवस्था करें।
- पर्यवेक्षक का सार (दो प्रतियों में) तैयार करें।
- अद्यतन बनाया गया ले आउट मैप, अद्यतन संक्षिप्त मकान सूची, प्रगणक सार, पर्यवेक्षक सार, संपूर्ण कवरेज प्रमाणपत्र, सभी उपयोग न की गई पर्चियों सहित भरी हुई पावती स्लिप पुस्तिका तथा उपयोग की गई/उपयोग न की गई सामग्री की सूची अपने चार्ज अधिकारी के सुपुर्द कर दें।
- उत्तरदाता द्वारा स्वयं दी गई जानकारी के अनुसार एकत्र किए गए आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आपकी होगी।

आपके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सत्यापन

- प्रत्येक गणना ब्लॉक/उप-ब्लॉक में, चार्ज कार्यालय में परिवारों के एक यादृच्छिक (रैन्डम) नमूने का चयन किया जाएगा। आपको इस प्रकार चुने गए प्रत्येक परिवार में व्यक्तिगत रूप से जाना है और प्रत्येक गणना ब्लॉक की डाटा एण्ट्री प्रक्रिया पूरी होने से पहले हैण्ड हैल्ड डिवाइस में लोड की गई प्रविष्टियों की सटीकता की जांच करनी है। ऐसा संबंधित ईबी में गणना के अंतिम दिन किया जा सकता है।
- यदि प्रगणक उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों से सहमत नहीं है तो वह अपनी असहमति के कारणों के साथ इसे अलग से दर्ज करेगा। आपको ऐसे सभी परिवारों में जाना है और संबद्ध प्रविष्टियों की जांच करनी है। किसी अन्य गणना ब्लॉक में डाटा एण्ट्री कार्य शुरू करने से पूर्व आपको संबद्ध प्रविष्टियों के लिए अपनी टिप्पणी भी दर्ज करनी होगी।
- प्रगणक ऐसे परिवारों की संख्या की जानकारी देंगे जिनसे विभिन्न प्रत्यक्ष कारणों (अर्थात कोई भी उपस्थित नहीं/दरवाजा बंद/उत्तरदाता द्वारा मनाही आदि) से प्रश्न नहीं पूछे जा सके थे। पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी अन्य गणना ब्लॉक में जाने से पूर्व ऐसे सभी परिवारों से निश्चित रूप से पूछताछ करें।
- आपको उन सभी परिवारों में जाना है जिनके धर्म या जाति/जनजाति के नाम के स्थान को खाली छोड़ दिया गया है और इन सभी का सत्यापन करना है।
- आपको ऐसे परिवारों की जांच करने की जरूरत होगी जहां जनगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र निगरानी एजेंसियां नियुक्त की गई प्रगणक द्वारा दर्ज किए गए रिकार्डों से किसी प्रकार के अंतर को दर्ज करें।

चुने गए परिगणना ब्लाक से क्षेत्र सत्यापन के लिए उपरोक्त उल्लिखित श्रेणी मे आने वाले रिकार्ड एप्लीकेशन मॉडयूल द्वारा लाए जाएगें।

. प्रगणकों की टिप्पणियों वाले रिकार्ड

- छूट गए परिवार (घर पर ताला लगा पाया गया, परिवार गणना ब्लॉक से बाहर चला गया, घर नहीं मिला, प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दिया और अन्य)
- ऐसे रिकार्ड जिसमें या तो धर्म या जाति/ जनजाति के नाम वाला स्थान या दोनों स्थान खाली हैं।

- ऐसे रिकॉर्ड, जिसमें स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों और प्रगणक के रिकार्ड में अंतर है।
- यादृच्छिक रिकार्ड (अच्छा रिकॉर्ड)।

क्षेत्र सत्यापन जांच के लिए किए जाने वाले रिकॉर्डों की संख्याः

फील्ड जांच के लिए पहले चार प्रकार के रिकार्ड लिए जाने अनिवार्य हैं। यादृच्छिक रिकॉर्ड की संख्या का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा कि अनिवार्य रिकार्ड सहित रिकॉर्डों की कुल संख्या चुने गए ब्लॉकों में रिर्कार्डों के लगभग 10% के बराबर हो। यदि अनिवार्य रिकॉर्ड ही 10% से अधिक हों तो चुनिंदा गणना ब्लॉकों में क्षेत्र सत्यापन के लिए केवल 2% रैंडम रिकॉर्डों का चुनाव किया जाएगा और क्षेत्र सत्यापन के लिए शामिल किया जाएगा।

आपके साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा, जिसके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस होगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 के सत्यापन के लिए सुपर वाइजर सॉफ्टवेयर डाला हुआ होगा। कृपया यह याद रखें कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किए गए सभी आंकड़े सार्वजनिक जांच-परख के लिए ग्राम और इस प्रक्रिया में प्रत्येक परिवार के नाम और जवाब पढ़ कर सुनाए जाएंगे, ताकि संबंधित परिवार अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें। अतः, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इस जनगणना के दौरान सही आंकड़े एकत्र किए जाएं (प्रश्नों के जवाब देने वालों द्वारा स्वयं दी गई जानकारी के आधार पर और साक्ष्य या प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज की मांग किए बिना) क्योंकि इन आंकड़ों का सत्यापन सार्वजनिक दावो और आपत्तियों के माध्यम से किया जाएगा और गलतियां भी सार्वजनिक रूप से उजागर की जाएगी।

क्षेत्र सत्यापन प्रक्रियाः

क्षेत्र सत्यापन के दौरान प्रगणक की टिप्पणी को छो़ड़कर अन्य सभी आंकड़े सत्यापन और संपादन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सत्यापन के लिए चुने और प्रदान किए गए रिकार्डो की सॉफ्टकॉपी राज्य प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे इन्हें मुद्रित करके आपको प्रदान कर सके। और आप क्षेत्र सत्यापन अधिक आसानी से कर सके। इस सूची में संक्षिप्त परिवार सूची, परिवार संख्या, व्यक्ति का नाम और परिवार के सदस्यों की संख्या जैसे ब्यौरे दर्शाए जाएंगे। आपको क्षेत्र सत्यापन में दस्तावेजी साक्ष्य ('प्रूफ') नही मांगने हैं तथापि, सुपरवाइजर की टिप्पणियों वाले कॉलम मे आपकी

अपनी टिप्पणी और ब्यौरे दर्ज करना यह सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है कि आंकड़े सही है।

सत्यापन के बाद किए जाने वाले कार्यकलापः

सभी रिकॉर्डों की क्षेत्र सत्यापन हो जाने के बाद जानकारियां हैंड हेल्ड डिवाइस से चार्ज सेंटर सर्वर पर डाली जाएंगी और इन्हें एन.आई.सी. सर्वर पर डालने के लिए एक डम्प फाइल बनाई जाएगी। प्रगणकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस फाइल की स्पष्ट पहचान अंकित की जाएगी और स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि पर्यवेक्षक ने फील्ड जांच की है। क्षेत्र सत्यापन के दौरान पर्यवेक्षक ने जिन आंकड़ों में संशोधन किया है, उन आंकड़ों का प्रयोग सूची का प्रारूप बनाने के लिए किया जाएगा, तथापि संशोधित (मोडिफाईड) किए गए आंकड़ों पर ताराकंन '*' चिन्ह लगाया जाएगा।

निष्कर्ष

प्रशिक्षण के दौरान उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रशिक्षण सत्रों के दौरान आप पूरा ध्यान दें। यदि किसी अवधारणा को समझ पाने में आपको कठिनाई महसूस होती है तो आप अपने प्रशिक्षक से इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कहें। प्रगणकों के लिए तैयार की गई अनुदेश पुस्तिका से भी आपको अवधारणाएं और स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलने के साथ-साथ अनुसूची कैसे भरी जाए इसके लिए भी मदद मिलेगी। उदाहरण के रूप में भरी हुई अनुसूचियां भी दर्शाई गई हैं। हालांकि ये अनुसूचियां सर्वेक्षण की अवधारणाओं एवं परिभाषाओं को समझने के लिए उपयोगी हैं, इन्हें केवल उदाहरण माना जाए।

यदि फिर भी फील्ड में आपके मन में कोई संदेह रहता है तो कृपया अपने चार्ज अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी का मोबाइल फोन नं. अपने पास रखें, ताकि जरूरत के समय आप उनसे संपर्क कर सकें।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया तभी सफलतापूर्वक पूरी हो सकती है, जब आप समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं और आपके प्रयासों के लिए आपके आभारी हैं। हमें विश्वास है कि आप निर्धारित समयसीमा के भीतर इस महत्वपूर्ण कार्य को इसकी गुणवत्ता पर पूरी तरह ध्यान देते हुए पूरा करेंगे।